फर्द अहकाम

सवित्री देवी वगै0 बनाम रामप्रसाद वगै0

ख्याः 264/24

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10.2024	वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलव हो चुकी है। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थीया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को जवाब आने तक आने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वाके ग्राम ग्वार ब्राहम्णान पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बरान् क्रमशः 719, 720 में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण की रजिस्टर्ड नोटिस डाक रसीद पेश नही करने पर उक्त स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर जारी होकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में दिनांक 07.11.2024 को पेश हो। **उपखण्ड अधिकारी** **जयपुर द्वितीय (सांगानेर)**	नोटिस जारी 7310-14 18/10/24 [illegible]
7/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उपस्थित। मुख्य वाद का निस्तारण हो चुका है। अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील [illegible] हो। पत्रावली नम्बर से कम हो [illegible] **उपखण्ड अधिकारी** **जयपुर द्वितीय (सांगानेर)**	अधि. प्रार्थी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.05.22 14:31:20 IST
Reason: SelfAttested